न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 17/2021 (2021/35) दर्ज दिनांक 27.01.2021
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

देवीलाल आत्मज नानीया उर्फ नानु गाडरी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान।

——प्रार्थी

बनाम

1. रतन आत्मज बालु गाडरी
2. हीरा आत्मज बालु गाडरी
3. किशन आत्मज घासी गाडरी
4. देवीलाल आत्मज घासी गाडरी

सर्व निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः— श्री गणपत राणवा

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः—16.02.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम माकड़िया पटवार हल्का भुणास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1055 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 92 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं।प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन व गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:32:44 IST
Reason: SelfAttested

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :–17 / 2021 (2021 / 35)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम माकड़िया पटवार हल्का भुणास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1055 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 92 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि** 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा **पत्थरगढ़ी की कमिश्नर फीस राशि** 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख **निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी** अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:32:44 IST
Reason: SelfAttested